


तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत देरवाला प्रकरण संख्या 48/2016 उनवान असलम बनाम रामनिवास वगैरह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.	राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट द्वारा अभियान-2018
19.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत देरवाला में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31.05.2017 को ताः फ़ैसला दावा तक बढ़ाया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अनावश्यक पेचेदगिया को बढ़ावा न मिल सके। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से ताः फ़ैसला दावा पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)	